राजस्थान इलेक्शन वॉच

एफ–14, मधुबन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर 302015, 0141–2597864

चुनाव आयोग
आदर्श आचरण संहिता

समय समय पर निर्वाचन आयोग ने कई आदेश जारी किए। वे आदर्श आचरण संहिता है।

- जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है उसी दिन से यह लागू हो जाती है।
- यह सब संगठन/कमेटियों/कारपोरेशन/आयोगों पर लागू होता है। जिन्हें सरकार द्वारा आंशिक या पूरी तरह अनुदान मिला हो।
- निम्न जगहों/चीजों का दुरुपयोग रोकना है
  - सरकारी वाहनों का उपयोग
  - सरकारी भवन
  - सरकारी अधिकारी/मशीनरी
- **कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में क्या**

इजाजत लेना है	**नहीं करना है**
• कुछ भी करना हो तो चुनाव आयोग से इजाजत जरूरी है	• नई योजना/उद्घाटन/ नए वादे
• नई नियुक्ति/नियमित नियुक्ति	• किसी भी योजना के साथ राजनेताओं को जोड़ना
• कोई तबादला करना हो	• बजट प्रावधान हो तब भी नई योजना का उद्घाटन
	• कोई नया बजट प्रावधान
	• कार्य योजना बन गई हो तब भी कार्य प्रारंभ नहीं
	• सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं

मंत्रियों का दौरा

- चुनाव प्रचार को दौरे के साथ नहीं जोड़ना है।
- मंत्री सरकारी दौरा नहीं करेंगे।

क्या हो सकता है

- चालू कार्य चलते रह सकते हैं।
- अचानक आई आपदा में आपदा प्रबंधन होगा।
- सार्वजनिक स्थानों का उपयोग सब दलों के लिए बराबरी से मिलेगा।
- बैठकों के लिए पुलिस से सूचना लेना जरूरी।
- प्रतिबंधित आदेशों की पालना करना है।
- लाउडस्पीकर के प्रयोग पर इजाजत लेना है।
- जुलूस का मार्ग पहले ही तय करना है और पूर्व इजाजत लेना जरूरी है।

क्या नहीं किया जा सकता है

- सरकार के पैसे से कोई प्रचार प्रसार नहीं।
- चुनाव प्रचार व सरकारी काम को मिक्स नहीं करना है।
- मतदाता को कोई प्रलोभन नहीं।
- जाति/संप्रदायवाद को नहीं भड़काना है।
- नफरत नहीं फैलाना है।
- आपस में व्यक्तिगत कीचड़ नहीं उछालना है।
- धर्म स्थान से चुनाव प्रचार नहीं करना है।
- विचारो में मतभेद होने से किसी के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं करना है।
- किसी के घर, दफ्तर, गाड़ी आदि पर बिना इजाजत के प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना है।
- किसी भी दल की सभा में व्यवधान नहीं डालना है।
- जुलूस में हथियारों का होना मना है।
- एक दूसरे के पोस्टर/झंडों को न नुकसान पहुंचाना है और न हटाना है।
- पोलिंग बूथ पर व उसके पास प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना है।
- प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे बाद माइक का प्रयोग नहीं करना है।
- सरकारी वेबसाइट पर राजनेताओं /मंत्रियों का हवाला नहीं देना है।
- सरकारी वाहन /भवनों पर सरकारी प्रचार सामग्री को नहीं लगाना है।

प्रचार के समय वाहन प्रयोग की शर्तें

- किसी भी वाहन में प्रतिबंधित सामग्री होगी तो वह जब्त हो जाएगी।
- प्रचार में वाहन का उपयोग इजाजत के बाद।
- नामांकन के समय सिर्फ 3 गाड़ियों का इस्तेमाल।
- प्रचार के दौरान प्रत्येक गाड़ी पर एक झंडा पोस्टर ही लग सकता है।
- प्रचार सामग्री को पहुंचाने के लिए 5 वाहनों का प्रयोग इजाजत से ही होगा।
- परमिट का रंग अलग होगा।
- इसका खर्चा दल के खर्च में डाला जाएगा।

संपत्ति/दीवार आदि का नुकसान नहीं

- सरकारी भवन पर प्रचार सामग्री नहीं।
- चुनाव अधिकारी की इजाजत वाले स्थान पर प्रचार सामग्री का उपयोग।
- सबको समान स्थान दिया जाएगा।
- किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पर बिना इजाजत चुनाव प्रचार नहीं।
- शिक्षण संस्था पर प्रचार सामग्री नहीं।

मोबाइल पर मैसेज के दुरुपयोग पर रोक

- कोई खराब संदेश नहीं हो।
- एक साथ मैसेज भेजने की जांच हो सकती है।
- चुनाव के 48 घंटे पहले मैसेज पर प्रतिबंध।
- लाउडस्पीकर /चुनाव सभा के लिए इजाजत लेना जरूरी है।

चुनाव के दौरान अस्थाई कार्यालय

- धर्म स्थान में नहीं होगा।
- सड़क पर अतिक्रमण करके नहीं होगा।
- एक झंडा व एक पोस्टर लगेगा।

पैम्पलेट पोस्टर आदि पर प्रतिबंध

- प्रचार सामग्री पर प्रकाशक का नाम व पता लिखना जरूरी।

विडियोग्राफी

- जिला निर्वाचन अधिकारी हर गतिविधि की विडियो रिकॉर्डिंग करेंगे।

राजनैतिक दलों का रेडियो/ टीवी आदि पर प्रचार

- हर बात के लिए इजाजत जरूरी है।
- हर प्रचार सामग्री की तीन सदस्यीय कमेटी जांच करेगी तभी टीवी आदि पर दिखाया जा सकेगा।
- अगर सर्टिफिकेशन न हो और प्रचार हो तो तुरंत कार्रवाई होगी।